पत्र संख्या–एस0एस0–पंजीयन अभियान / 2019–20 / 805 / वाणिज्य कर।

कार्यालय, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
(संख्या अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक, 6 फरवरी, 2020

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

जी0एस0टी0 अनुभाग, मुख्यालय के पत्रांक–732 दिनांक 22.11.2019, पत्रांक–830 दिनांक 10.01.2020 तथा कमिश्नर कैम्प के पत्रांक–221 दिनांक 25.01.2020 से विशेष पंजीयन अभियान के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये हैं। पंजीयन अभियान के दौरान प्रदेश में दिनांक 05.02.2020 तक की गयी कार्यवाही की समीक्षा की गयी। समीक्षा पर यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि कुछ जोन्स में पंजीयन सर्वेक्षण गणना कार्य अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है। मुख्यालय के पत्र संख्या–830 दिनांक 10.01.2020 से पंजीयन सर्वेक्षण गणना कार्य का सत्यापन वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर से किये जाने के निर्देश भी दिये गये थे। कुछ अधिकारियों द्वारा सत्यापन हेतु 15 दिन का अतिरिक्त समय दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के दृष्टिगत निम्न निर्देश दिये जाते हैं–

1. विभाग की प्रत्येक लोकेशन पर स्थापित पंजीयन सुविधा केन्द्रों का प्रचार–प्रसार प्रमुख बाजारो/ कस्बों में किया जाये, जिसके लिये प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर होर्डिंग्स लगायी जाएँ। इन होर्डिंग्स के माध्यम से व्यापारीजन को अवगत कराया जाये कि विभाग द्वारा हेल्प डेस्क के माध्यम से पंजीयन प्रार्थना पत्र अपलोडिंग एवं रिटर्न दाखिला की निः शुल्क सुविधा उपलब्ध करायी जाये रही है।
2. जनपद मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों एवं प्रमुख बाजारों/कस्बों में स्थित कॉमन सर्विस सेन्टर्स/जन सुविधा केन्द्रों के कार्मिकों को भी पूर्व की भाँति पंजीयन एवं रिटर्न दाखिला के सम्बंध में प्रशिक्षित किया जाये। जिला प्रशासन के सहयोग से सभी कॉमन सर्विस सेन्टर्स/जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से पंजीयन प्रार्थना पत्र आलोडिंग एवं रिटर्न दाखिला की सुविधा उपलब्ध करायी जाये तथा इन सेन्टर्स का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये।
3. सूचना विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद में "सूचना वैन" संचालित की जाती है। पंजीयन के लाभ विषयक लीफ़लेट एवं अन्य सामग्री पर्याप्त संख्या में जिला सूचना अधिकारी को उपलब्ध कराते हुए "सूचना वैन्स" के माध्यम से विशेष पंजीयन अभियान का व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जाये।

4. परिपत्र सं0– 732 दिनांक 22.11.2020, परिपत्र सं0– 830 दिनांक 10.01.2020 तथा परिपत्र सं0– 221 दिनांक 25.01.2020 से पूर्व प्रसारित निर्देशों के अनुरूप पंजीयन कैम्पों/पंजीयन सेमिनार्स का आयोजन, अन्य जागरूकता कार्यक्रम, अवशेष गणना एवं सत्यापन तथा नये व्यापारियों को पंजीकृत कराने का कार्य एक साथ संचालित किया जाये तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाये।
5. अवशेष गणना तथा सत्यापन एवं फीडिंग का कार्य प्रत्येक दशा में दिनांक 15.02.2020 तक पूर्ण कर लिया जाये।

निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।